राज्य सभा सचिवालय
(प्रशिक्षण प्रकोष्ठ)

संसदीय सौध
नई दिल्ली

सं. आर. एस. 19(9)/2018-प्रशिक्षण **दिनांक 10 सितम्बर 2018**

परिपत्र

विषय:-सचिवालय में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाना !

सचिवालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 28वीं बैठक माननीय महासचिव महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें सचिवालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के दौरान इस विषय पर चर्चा हुई थी कि सचिवालय में कार्यरत **हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को** अनिवार्य रूप से हिन्दी प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिलाना जाना चाहिए।

2 महासचिव महोदय की सहमति से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक मे लिए गए निर्णयानुसार राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सहयोग से सचिवालय में ही हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ताकि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रबोध स्तर का प्रशिक्षण दिया जाना अपेक्षित है, उन्हे एक साथ ही प्रशिक्षण दिया जा सके। इस कार्यशाला में राजभाषा विभाग के अधिकारीगण शिक्षण प्रदान करेंगे। इन कार्यक्रमों की समयावधि एंव तारीख निम्नानुसार है:-

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	प्रशिक्षण स्थान	परीक्षा की दिनांक	पात्रता
1	हिंदी प्रबोध	दिनांक 12 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2018 प्रातः 10:30 से 1:30 तक	समिति कक्ष 4, खंड ए, संसदीय सौध विस्तार	15 अक्टूबर 2018	यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का हे ! इसमें कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मणिपुरी, मिज़ो और अंग्रेजी भाषा-भाषी अधिकारी/ कर्मचारी, प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं ! वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें हिंदी का ज्ञान प्राइमरी स्तर तक का नहीं हे, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं !

3 तदनुसार, राज्य सभा के ऐसे सभी अधिकारी/कर्मचारी, जो हिंदी में कार्य करने की अपनी क्षमता में सुधार लाने हेतु उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार भाग लेने के इच्छुक हैं, वे अपना नामांकन अपने संबधित अपर सचिव/संयुक्तसचिव/नियंत्रण अधिकारियों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रकोष्ठ को **11 सितम्बर 2018** तक अग्रेषित कर सकते हैं! निजी सचिव और आशुलिपि सेवा के अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सम्बद्ध अधिकारी तथा अपनी सेवा के प्रमुख की अनुमति प्राप्त करें!

अरुण बक्शी

(अरुण बक्शी)
अवर सचिव

सेवा में,

सभी अधिकारी/अनुभाग/निजी सचिव/अधिकारियों के निजी सहायक तथा वेतन और लेखा कार्यालय, राज्य सभा !